**दिनांक 20.06.2018 को अपराह्न 3:00 बजे विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित State Level Task Force On Mobility की बैठक की कार्यवाही:-**

1. उपस्थिति: पंजी के अनुसार।

2. नीति आयोग की ओर से संयुक्त सचिव श्री अंगरूप वोध के द्वारा PPT का प्रस्तुतीकरण किया गया।

3. PPT प्रस्तुतीकरण के पश्चात् विकास आयुक्त, बिहार, पटना ने यह सुझाव दिया गया कि mobility transformation की Strategy बनाने के लिए राज्य विशेष की समस्या और सरोकार को अवश्य ध्यान में रखना होगा। गंगा, गंडक, कोसी, महानन्दा, किउल, फलगू, सोन आदि ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके दोनों तटों पर घनी आबादी वाले शहर अवस्थित हैं। इन नदियों पर यथोचित रेल एवं रोड यातायात के विकास के बिना mobility Strategy अधूरी रह जाएगी। गंगा नदी में गाद की समस्या का निराकरण किए बिना उसे Navigable बनाया जाना सम्भव नहीं होगा।

4. Shared Mobility तथा Mobility Improvement के संदर्भ में विवेचन के द्वारा यह महसूस किया गया कि MV Act के प्रावधानों में यथोचित बदलाव किए जाने आवश्यक होंगे।

5. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सड़कों के निर्माण में भू-अर्जन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षित सड़कों के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि भू-अर्जन के लिए पर्याप्त निधि का प्रावधान रखा जाए।

6. नदियों पर बड़े पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

7. बिहार बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होते रहता है। इससे सड़के भी भारी मात्रा में प्रभावित होती है। उनकी मरम्मती के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की तरफ नीति आयोग को ध्यान देना चाहिए।

8. बिहार की भौगोलिक संरचना एवं बाढ़ को ध्यान में रखते हुए elevated road निर्माण पर विचार पर किया जाना होगा।

9. बिहार के बहुत सारे शहर व्यवसायिक रुप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनको हवाई मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

10. पटना शहर में मेट्रो का निर्माण भी Surface Transport के load को कम कर सकेगा।

11. बिहार राज्य के लिए Integrated Mobility Plan बनाने का सुझाव विकास आयुक्त के द्वारा दिया गया।

**विकास आयुक्त,**
बिहार, पटना।

**बिहार सरकार**
**परिवहन विभाग**

ज्ञापांक–01/विविध (टास्क फोर्स)–08–29/2018,.4717../पटना, दिनांक 23/7/18

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, संचालन–सह–विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (सिविल विमानन), बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।